(५)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल.आर.गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 20/2016 अपील

श्री लादू पिता बीरम बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

बनाम

1. श्रीमती तुलसी पत्नी नैनू कुमावत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर
2. श्री चतरभुज पिता पिथा कुमावत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर
3. श्री भगवान सिंह पिता हरिसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर
4. श्री कुन्दन सिंह पिता हरिसिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर
5. श्री भैरू सिंह पिता कालू सिंह राजपूत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर
6. श्री भागू पिता पोखर बलाई निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर
7. श्री जैठू पिता नाथू कुमावत निवासी पीथलपुरा तहसील रायपुर
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

–प्रत्यर्थीगण

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अपील अन्तर्गत 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश तहसीलदार रायपुर प्रकरण सं. 01/2013 दिनांक 17.03.2016 धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री हरदयाल वर्मा अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री के.सी. काष्ट अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट सं. 01 से 07 की ओर से
3. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट सं. 08 की ओर से

निर्णय

दिनांक 21.06.2018

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 225 की धारा 183 बी के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार रायपुर बमामले प्रकरण सं0 01/2013 निर्णय दिनांक 17.03.2016 के खिलाफ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पीथलपुरा तहसील रायपुर में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जेयाबी की निम्न

(5)

आराजियात स्थित है जिसके आराजी सं. 239,240,241,483/195,489/484 किता 5 रकबा 1.30 हैक्ट. भूमि है। इन आराजियात में से आराजी सं. 489/484 रकबा 0.30 हैक्ट. जिसके साबिक नम्बर 194 थे। उक्त नम्बरान पर रेस्पोडेण्ट ने प्रार्थना पत्र पेश होने के 3 वर्ष पूर्व ताकत के बल पर कब्जा कर लिया जिन्हे बेदखल कर कब्जा अपीलार्थी का कराया जावे, जिस प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया जो तथ्यों व विधि विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने मूल रूप से केवल यह कयास लगाकर की आराजी सं. 489/484 रकबा 0.30 हैक्ट. वर्तमान जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड नही है ऐसा मानकर प्रार्थना पत्र निरस्त करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय स्वयं रेवेन्यु रिकार्ड धारित करता है तथा स्वयं अपने आदेशों में यह उल्लेखित करता है कि आराजी सं. 489/484 के वर्तमान नम्बर 528/484 रकबा 0.02 हैक्ट. प्यारचंद के नाम दर्ज है तथा आराजी सं. 529/484 रकबा 0.28 हैक्ट. अपीलार्थी के नाम दर्ज है तथा आराजी सं. 529/484 पर रेस्पोडेण्ट का नाजायज कब्जा है जो ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार नही कर प्रार्थना पत्र को यह कहकर खारिज कर देना कि आराजी सं. 489/484 का रिकार्ड नहीं है, अवैध आदेश होने से निरस्त होने योग्य है। जबकि आराजी सं. 529/484 आराजी सं. 489/484 का ही रकबा है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली कायम की जिसके नम्बर तक नही डाले तथा अपीलार्थी को 17.03.2016 को कहा कि स्वयं मौका देखने के बाद में निर्णय करेगें। अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय पर विश्वास कर चला गया तथा तहसीलदार के मौके पर नहीं आने पर दिनांक 21.04.2016 को जाकर मालूम किया तो तहसीलदार रायपुर ने दिनांक 17.03.2016 को ही आदेश पारित कर दिया। जिसकी जानकारी दिनांक 21.04.2016 को हुयी तथा दिनांक 22.04.2016 को नकले प्राप्त हुयी। निर्णय दिनांक 17.03.2016 से जानकारी दिनांक 22.04.2016 तक के समय को क्षम्य योग्य होने व माकूल कारण होने से कण्डोन कराये जाने बाबत् अलग से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायपुर के निर्णय दिनांक 17.03.2016 को निरस्त फरमाया जाकर जैर बहस आराजियात का कब्जा अपीलार्थी को सुपुर्द करावे।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(6)

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 16.05.2016 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड़ तलब किया गया।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पीथलपुरा तहसील रायपुर में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जेयाबी की निम्न आराजियात स्थित है जिसके आराजी सं. 239,240,241,483/195,489/484 किता 5 रकबा 1.30 हैक्ट. भूमि है। इन आराजियात में से आराजी सं. 489/484 रकबा 0.30 हैक्ट. जिसके साबिक नम्बर 194 थे। उक्त नम्बरान पर रेस्पोडेण्ट ने प्रार्थना पत्र पेश होने के 3 वर्ष पूर्व ताकत के बल पर कब्जा कर लिया जिन्हे बेदखल कर कब्जा अपीलार्थी का कराया जावे, जिस प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया जो तथ्यों व विधि विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने मूल रूप से केवल यह कयास लगाकर की आराजी सं. 489/484 रकबा 0.30 हैक्ट. वर्तमान जमाबंदी में दर्ज रिकार्ड नही है ऐसा मानकर प्रार्थना पत्र निरस्त करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय स्वयं रेवेन्यु रिकार्ड धारित करता है तथा स्वयं अपने आदेशों में यह उल्लेखित करता है कि आराजी सं. 489/484 के वर्तमान नम्बर 528/484 रकबा 0.02 हैक्ट. प्यारचंद के नाम दर्ज है तथा आराजी सं. 529/484 रकबा 0.28 हैक्ट. अपीलार्थी के नाम दर्ज है तथा आराजी सं. 529/484 पर रेस्पोडेण्ट का नाजायज कब्जा है जो ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार नही कर प्रार्थना पत्र को यह कहकर खारिज कर देना कि आराजी सं. 489/484 का रिकार्ड नहीं है, अवैध आदेश होने से निरस्त होने योग्य है। जबकि आराजी सं. 529/484 आराजी सं. 489/484 का ही रकबा है। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर में प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. का रेस्पोडेण्ट सं. 03 से 07 के विरूद्व प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र प्रकरण सं. 124/2014 दर्ज होकर निर्णय दिनांक 16.03.2017 में उक्त न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने से अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. के निर्णय की अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा में की गयी जो वर्तमान मे लम्बित है। अधीनस्थ न्यायालय ने

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(7)

पत्रावली कायम की जिसके नम्बर तक नही डाले तथा अपीलार्थी को 17.03.2016 को कहा कि स्वयं मौका देखने के बाद में निर्णय करेगें। अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय पर विश्वास कर चला गया तथा तहसीलदार के मौके पर नहीं आने पर दिनांक 21.04.2016 को जाकर मालूम किया तो तहसीलदार रायपुर ने दिनांक 17.03.2016 को ही आदेश पारित कर दिया। प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायपुर के निर्णय दिनांक 17.03.2016 को निरस्त फरमाया जाकर जैर बहस आराजियात का कब्जा अपीलार्थी को सुपुर्द करावे। अपीलार्थी अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2014 (2) 1064 एवं आर.आर.टी. 2014 (1) 658 प्रस्तुत किये।

रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसमें अपीलार्थी ने सम्पूर्ण तथ्यों का समावेश नही किया है तथा गलत तौर पर अंकन किया है कि आराजी सं. 489/484 रकबा 0.30 हैक्ट. अपीलार्थी की खातेदारी अधिकार की है, बल्कि वास्तविक स्थिति यह है कि आराजी सं. 529/484 रकबा 0.28 हैक्ट. अपीलार्थी के खाते में दर्ज है तथा उसकी कुलिया जमीन भी 1.30 हैक्ट. न होकर 1.28 हैक्ट. ही है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पत्थरगढी आदेश एवं मौका पर्चा दिनांक 20.06.2012 को आधार बनाया है और इस आधार पर कहा है कि प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी की जमीन पर कब्जा कर रखा है। यदि पर्चा मौका दिनांक 20.06.2012 को मुलायजा किया जावे तो स्पष्ट हो जाता है कि वक्त पर्चा मौका प्रत्यर्थीगण मौजूद नही थे एवं उक्त पर्चा मौका में भी पटवारी ने यह नही बताया कि किस व्यक्ति ने अपीलार्थी की किस आराजी पर कितने क्षैत्रफल पर कब्जा कर रखा है। पटवारी हल्का ने मौके पर रास्ता होना अंकित है जो रास्ता गांव बसने के समय से ही बना हुआ है तथा थला एवं मोखमपुरा गांवो को जोड़ने वाला मुख्य रास्ता है जो कि ग्राम पीथलपुरा में से होकर निकलता है, जिसके रोड के एक तरफ अपीलार्थी की आराजी स्थित है तथा रोड के दूसरी तरफ आबादी भूमि होकर गांव बसने के समय से ही कब्जा एवं निवास है । उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने सही तौर पर निर्णय पारित किया है कि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183

(8)

बी खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने सम्पूर्ण प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में इस तथ्य का कही भी यह अंकन नही किया है कि किस व्यक्ति ने किस दिनांक को किस आराजी के कितने रकबे पर किन पड़ौसों के मध्य की भूमि पर कब्जा किया है एवं स्वयं अपीलार्थी का कितनी भूमि पर कब्जा है ? न ही अपीलार्थी ने ऐसी कोई साक्ष्य से उक्त तथ्यों को साबित कराया है। ऐसी परिस्थिति में साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में एवं वर्तमान अपील में वर्णित तथ्यों को साबित नही करा पाया है। इस कारण अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है। राजस्व नक्शे में आराजी सं. 194 को एक ही चक बताया गया है, जबकि इसके करीब 06 टुकड़े हो चुके है। जिसका राजस्व नक्शे में कही भी अमल दरामद नही है। आराजी सं. 489/484 रकबा 0.30 हैक्ट. न तो अपीलार्थी के नाम पर है तथा न ही उक्त नम्बर नक्शे में तरमीम है। वर्तमान में अपीलार्थी के नाम आराजी सं. 529/484 रकबा 0.28 हैक्ट. भूमि दर्ज है। जो आराजी सं. 194 के नम्बर टूट कर बने है। जिसका भी नवीन नक्शे में इन्द्राज नही हैं, तो अपीलार्थी द्वारा किस भूमि की पत्थरगढी करवाई है यह तथ्य स्वयं में प्रश्नवाचक है। विपक्षीगण अपनी क्रयसुदा भूमि पर व ग्राम की आबादी भूमि में ही वर्षों से मकान बनाकर निवास कर रहे है। अपीलार्थी द्वारा अपनी आराजी सं. 194 के समय समय पर आबादी परिवर्तन करवाया गया तथा आबादी परिवर्तन के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा भूमि विक्रय की गयी है। आराजी सं. 194 की नवीन नक्शे में उत्तर की तरफ ज्यादा बढा दिया गया है जब कि अपीलार्थी अपनी उक्त भूमि पर क्रय की दिनांक से काबिज है तथा इसके आगे सरकारी रास्ता है तथा उसके आगे अपीलार्थी की कोई भूमि नही होकर आबादी भूमि है तथा विपक्षीगण अपनी क्रयसुदा भूमि एवं अन्य तरीके से कब्जे काबिज है। अपीलार्थी आराजी सं. 194 रकबा 0.50 हैक्ट. में से 0.07 हैक्ट. भूमि विपक्षी सं. 04 कुन्दन सिंह , 0.05 हैक्ट. भूमि सुखलाल कुमावत, 0.08 हैक्ट. भूमि जीवराज कुमावत की आबादी संपरिवर्तन करवा उनको विक्रय की गयी तथा 0.02 हैक्ट. भूमि प्यारचंद बलाई को विक्रय की गयी। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा आराजी सं. 194 मे से 0.22 हैक्ट. भूमि अन्य को विक्रय कर दी तथा उसके द्वारा मौके पर कब्जा भी करवा दिया है तथा अपीलार्थी द्वारा पत्थरगढी करवाई गयी, इसके उक्त क्रेताओं को विक्रय की गयी भूमि को नही नापा गया तथा क्रय के बाद जो नवीन

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

नम्बर कायम किये गये उनका नक्शे में कही पर अमल दरामद नही है। सेटलमेण्ट के दौरान नक्शे की गलत तरमीम करते हुये अपीलार्थी के नक्शे को उत्तर की तरफ बढाकर छोटा कर दिया है तथा आराजी नम्बर 195,196,197,198 का नक्शा बढा दिया है। अपीलार्थी द्वारा आराजी सं. 489/484 रकबा 0.30 हैक्ट. से बेदखली हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि उक्त नम्बर एवं रकबे की भूमि वर्तमान में न तो अपीलार्थी के नाम पर है तथा न ही नक्शे में कोई नम्बर अंकित है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के माध्यम से दुरूस्त नही किया जा सकता है तथा केवलमात्र धारा 136 एल.आर. एक्ट के माध्यम से ही समस्त आराजियात का राजस्व रिकार्ड में अंकन कराते हुये नक्शा तरमीम कराकर ही किया जा सकता है। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि जमाबंदी संवत् 2065 से 68 में ग्राम पीथलपुरा के आराजी नं. 489/484 रकबा 0.30 हैक्ट. भूमि का अपीलार्थी खातेदार होकर इसमें से 0.02 हैक्ट. भूमि को नामान्तरकरण सं. 124 दिनांक 05.03.2012 से प्यारचन्द पिता सूरजमल बलाई के नाम बेचान से दर्ज करने की स्वीकृति हुयी जिसके नवीन खसरा नं. 528/484 बने। शेष नवीन आराजी नं. 529/484 रकबा 0.28 हैक्ट. भूमि पर अपीलार्थी की खातेदारी रही है। अपीलार्थी ने आराजी नं. 489/484 रकबा 0.30 हैक्ट. की पत्थरगढी करवायी। पत्थरगढी मौका पर्चा दिनांक 20.06.2012 के अनुसार आराजी नं. 489/484 पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा होना पाया गया। इस मौके पर्चे के आधार पर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 183 ख आर.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सीलवाड़ा (राज.)

टी.ए. का विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण सं. 01/2013 में सुनवाई की जाकर खसरा नं. 528/484 रकबा 0.02 हैक्ट. एवं खसरा 529/484 रकबा 0.28 हैक्ट. भूमि के राजस्व नक्शें में तरमीम नही होने के आधार पर अपीलार्थी का प्रार्थना दिनांक 17.03.2016 को खारिज किया गया है। जबकि तहसीलदार रायपुर को उक्त आराजी का मौका निरीक्षण कर पक्षकारान की सुनवाई कर निर्णय पारित करना चाहिये। अपीलार्थी आराजी नं. 529/484 रकबा 0.28 हैक्ट. भूमि का खातेदार है। उक्त भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा प्रमाणित होने पर अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर कब्जा हटाने की कार्यवाही की जाना चाहिये। तहसीलदार रायपुर अपनी उपस्थिति में वादग्रस्त भूमि की पैमाईश करवायी जाकर मौका पर्चा तैयार करवावें। उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर साक्ष्य सबूत लिये जावे। प्रकरण तहसीलदार रायपुर को रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 225 आर.टी.ए. स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 17.03.2016 को अपास्त किया जाता है एवं तहसीलदार रायपुर को रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते हैं कि तहसीलदार रायपुर अपनी उपस्थिति में वादग्रस्त भूमि ग्राम पीथलपुरा की आराजी नं. 529/484 रकबा 0.28 हैक्ट. भूमि की पैमाईश करवायी जाकर मौका पर्चा तैयार करवावें एवं उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर साक्ष्य सबूत लिये जावे। नये सिरे से विधिवत् निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायपुर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा